

भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/03/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन,

संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: सितम्बर 2026

शुद्धिपत्र अधिसूचना

(मामला सं. एडी (ओआई) - 03/2025)

विषय: ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस के मूल अथवा वहां से निर्यातित “लो ऐश मेटलर्जिकल कोक” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों का शुद्धिपत्र।

1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकरण (जिसे आगे “प्राधिकरण” भी कहा गया है) ने ऑस्ट्रेलिया, चीन जन. गण., कोलंबिया, इंडोनेशिया, जापान और रूस (जिन्हें आगे “संबद्ध देश” कहा गया है) के मूल अथवा वहां से निर्यातित “लो ऐश मेटलर्जिकल कोक” (जिसे आगे “संबद्ध वस्तु” कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच में 28 अप्रैल 2026 की अधिसूचना सं. 6/03/2025-डीजीटीआर के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम (जिन्हें आगे “अंतिम जांच परिणाम” कहा गया है) जारी किए, जिनमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। उक्त सिफारिश के आधार पर, राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2026 की अधिसूचना संख्या 18/2026-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किया गया है।

2. प्राधिकरण ने अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 26 में, फेरोएलॉय विनिर्माण में उपयोग हेतु अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस मेटलर्जिकल कोक तथा पिग आयरन विनिर्माण हेतु 130 घन मीटर तक की ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग हेतु 20-40 मि.मी. आकार के एलएएम कोक को, वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों के अधीन, विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जित किया। प्राधिकरण ने अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 326 और 327 में आगे स्पष्ट किया कि उक्त अपवर्जन वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के आधार पर प्रदान किए गए हैं और ऐसे आयात पाटनरोधी शुल्क के भुगतान के बिना केवल तभी किए जा सकेंगे जब वे वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा आयात किए जाएं। तदनुसार, अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 333 से संलग्न शुल्क सारणी के नीचे दिए गए नोट में यह प्रावधान है कि उक्त अपवर्जन वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा आयात तथा वास्तविक आयात और अंतिम उपयोग के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष समुचित और विधिक रूप से प्रवर्तनीय वचनबंध प्रस्तुत करने के अधीन हैं, और 20-40 मि.मी. आकार के एलएएम कोक के मामले में, उपयोगकर्ता की ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता को प्रमाणित करने वाला संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन हैं।
3. सीमा शुल्क प्राधिकारियों को स्पष्टता प्रदान करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपवर्जन का लाभ केवल पात्र वास्तविक उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट अंतिम उपयोग हेतु ही प्राप्त हो, प्राधिकरण यह निर्दिष्ट करना उचित समझता है कि वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त का कार्यान्वयन सीमा शुल्क द्वारा सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर अथवा निर्दिष्ट अंतिम उपयोग हेतु माल का आयात) नियम, 2022 के अनुसार किया जाएगा।
4. तदनुसार, अंतिम जांच परिणामों के पैराग्राफ 333 से संलग्न शुल्क सारणी के नीचे दिए गए नोट को प्रतिस्थापित किया जाता है और उसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

“लो ऐश मेटलर्जिकल कोक अर्थात् 18% से कम राख अंश वाला मेटलर्जिकल कोक, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं:

क. फेरोएलॉय विनिर्माण में उपयोग हेतु 0.030% तक फॉस्फोरस अंश वाला, 5% आकार सहनशीलता के साथ 30 मि.मी. तक के आकार का अल्ट्रा-लो फॉस्फोरस

मेटलर्जिकल कोक। यह अपवर्जन नीचे दिए गए नोट 1 को पूरा करने वाली वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन है;

ख. सेमी-कोक अथवा सॉफ्ट कोक;

ग. पिग आयरन विनिर्माण हेतु 130 घन मीटर तक की ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग हेतु 20-40 मि.मी. आकार का एलएएम कोक (लगभग 30 मि.मी. $\pm$ 2 मि.मी. के औसत आकार सहित)। यह अपवर्जन नीचे दिए गए नोट 1 को पूरा करने वाली वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के अधीन है।

नोट 1: उपर्युक्त (क) और (ग) पर दिए गए अपवर्जन केवल तभी उपलब्ध होंगे जब माल का आयात वास्तविक उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट अंतिम उपयोग में अपनी स्वयं की खपत के लिए किया जाए, और यह वास्तविक आयात तथा अंतिम उपयोग के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष समुचित और विधिक रूप से प्रवर्तनीय वचनबंध प्रस्तुत करने के अधीन होगा। उपर्युक्त (ग) पर दिए गए अपवर्जन के मामले में, वास्तविक उपयोगकर्ता को उपयोगकर्ता की ब्लास्ट फर्नेस की क्षमता को प्रमाणित करने वाला, यथालागू, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वैध प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा, और यह अपवर्जन किसी अन्य उपयोग अथवा किसी अन्य आकार की फर्नेस के लिए लागू नहीं होगा। वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त का कार्यान्वयन सीमा शुल्क द्वारा सीमा शुल्क पतन पर माल की निकासी के समय सीमा शुल्क (रियायती शुल्क दर पर अथवा निर्दिष्ट अंतिम उपयोग हेतु माल का आयात) नियम, 2022 का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।”

5. उपर्युक्त से अंतिम जांच परिणामों में विचाराधीन उत्पाद के दायरे, अपवर्जनों अथवा सिफारिश किए गए पाटनरोधी शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इससे केवल प्राधिकरण द्वारा पहले से सिफारिश की गई वास्तविक उपयोगकर्ता शर्त के कार्यान्वयन की रीति को स्पष्ट किया गया है।

6. 28 अप्रैल 2026 के अंतिम जांच परिणामों की अन्य सभी अंतर्वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

Digitally signed by
Amitabh Kumar
Date: 29-09-2026
12:38:31

(अमिताभ कुमार)

निर्दिष्ट प्राधिकारी